यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा व0ले0प एवं श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.12.2018 से 29.12.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, ले0 प0 अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा (ले.प.), श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.09.2017 से 28.09.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः समस्त रेन्जों के अन्तर्गत वन एवं वन सम्पदा का संरक्षण एवं वनों के उत्पादनों की बिक्री।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1475.99
2016-17	1035.70
2017-18	859.59

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	723.10	723.10	495.99	495.99	-	-
2016-17	824.24	749.97	746.22	716.60	-	103.89
2017-18	493.75	493.75	129.392	129.392	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2017-18	इन्टैन्सीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट	-	5.91	5.91	-

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: (1) बहुउद्देशीय वृक्षारोपण, (2) वनों की अग्नि से सुरक्षा, (3) मानव वन्य जीव संघर्ष-राज्य योजना व इन्टैन्सीफिकेशन आँफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट-केन्द्र योजना

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 01 प्रबन्ध योजना अनुसार कार्य न करने से लीसा मद में राजस्व हानि ₹ 5.92 करोड़ ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2009-10 से 2018-19 के अनुसार लीसा फसल के लिये चयनित प्रस्तावित क्षेत्रफल सकल 24446.30 हे॰ एवं शुद्ध 23190.50 हे॰ निर्धारित था जिसमे प्रभाग द्वारा लीसा विदोहन का कार्य किया जाना था। प्रभाग की 06 रेंजों में आरक्षित वन में 575750 लीसा घावों पर प्रतिवर्ष कार्य किया जाना था एवं लीसा प्राप्ति 04 कुंतल प्रति 100 घाव निर्धारित की गयी थी ।

प्रभाग के लीसा उत्पादन से संबन्धित अभिलेखों एवं प्रगति विवरण के अनुसार लीसा फसल वर्ष 2017 में लीसा उत्पादन हेतु आरक्षित वन में 291688 घाव ही बनाये गये जिनसे 12073.83 कुंतल लीसा उत्पादन किया गया था जबकि प्रबन्ध योजना के अनुसार 575750 घावों पर कार्य किए जाने से 4 किग्रा/घाव की दर से 23030 कुंतल लीसा का उत्पादन होता।

जाँच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा प्रबन्ध योजना के विपरीत आरक्षित वन क्षेत्र में केवल 291688 घाव बनाये गये थे जिनसे 4.14 किग्रा/घाव की दर से 12073.83 कुंतल लीसा उत्पादन किया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में 10956.17 (23030-12073.83) कुंतल लीसा का कम उत्पादन हुआ। प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लीसा का औसत मूल्य ₹ 5400/- प्रति कुंतल था। इस प्रकार 10956.17 कुंतल कम उत्पादन किये जाने से विभाग ₹ 5,91,63,318/- (10956.17 कुं॰*₹ 5400/कुंतल) की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीसा मेटों द्वारा टेण्डर डालने के पश्चात एग्रीमंट नहीं किया गया जिस कारण उनकी जमानत की धनराशि ₹ 1000/लाट की दर से जब्त कर ली गयी थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंध योजना के अनुसार निर्धारित घावों पर कार्य नहीं किया गया जिससे लीसा का कम उत्पादन होने से ₹ 5,91,63,318/- राजस्व प्राप्ति नहीं हो सकी।

अतः ₹ 5,91,63,318/- की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-02 एनपीवी की राशि ₹ 37.20 लाख व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि ₹ 127.94 लाख न लिये जाने से राजस्व क्षति ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन के लिये वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु नेट प्रेजेण्ट वैल्यू (NPV) लेने के सम्बंध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F-3/2007-FC दिनाँक 05.02.2009 द्वारा विभिन्न इको क्लास एवं विभिन्न सघनता वाले वनों हेतु एन॰पी॰वी॰ की दरों का निर्धारण किया गया था। कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण के सापेक्ष देय धनराशियों का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (₹ में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (₹ में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण (₹में)
2016-17	230302.00	345312.00	₹ 1000/वृक्ष
2017-18	253332.00	379843.00	₹ 1000/वृक्ष

उक्त के अतिरिक्त प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन-प्रभाग के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये जाने पर निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

(A) शासन के पत्रांक 599/X-4-15/1(354)/2015 दिनाँक 29.07.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग हेतु 4.85 हे॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किया गया था। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की एन॰पी॰वी॰ ₹ 40,98,250/- निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 31,86,450/- तथा 9.70 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि ₹ 22,33,929/- ही जमा की गयी थी। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 9,11,800/- NPV की राशि कम जमा करायी गयी थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2017-18 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	253332 प्रति हेक्टेअर	9.70 हेक्ट॰	2457320.00	2233929.00	223391.00
रोड साइड वृक्षारोपण	379843.00 प्रति हेक्ट॰	8.50 किमी	3228665.00	0	3228665.00
रिक्त पड़े स्थानों/100	प्रभावित वृक्षों का दस	39*10=390	390000.00	0	390000.00

वृक्षों का रोपण	गुना/ 1000 प्रति वृक्ष	वृक्ष			
योग			**60,75,985.00**	**22,33,929.00**	**38,42,056.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 9,11,800/- NPV की राशि तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में ₹ 38,42,056/- की राशि कम जमा की थी।

(B) शासन के पत्रांक 1099/X-4-16/1(273)/2016 दिनाँक 02.11.2016 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.208 हेक्ट॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किया गया था। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की एन॰पी॰वी॰ ₹ 22,81,500/- निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 14,50,656/- तथा 4.416 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु कुल धनराशि ₹ 20,52,949/- ही जमा की गयी थी। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 8,30,844/- NPV की राशि कम जमा करायी गयी थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2017-18 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	**दर (₹ में)**	**क्षेत्रफल /प्रभावित वृक्षों की संख्या**	**देय धनराशि (₹ में)**	**जमा की गयी राशि (₹ में)**	**अन्तर (₹ में)**
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	253332 प्रति हेक्टेअर	4.416 हेक्ट॰	1118714.00	1017013.00	101701.00
रोड साइड वृक्षारोपण	379843.00 प्रति हेक्ट॰	3.00 किमी	1139529.00	1035936.00	103593.00
रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण	प्रभावित वृक्षों का दस गुना/ 1000 प्रति वृक्ष	28*10=280 वृक्ष	280000.00	0	280000.00
योग			**25,38,243.00**	**20,52,949.00**	**4,85,294.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 8,30,844/- NPV की राशि तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में ₹ 4,85,294/- की राशि कम जमा की थी।

(C) शासन के पत्रांक 973/X-4-16/1(311)/2016 दिनाँक 10.10.2016 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग के किमी-10 में अनर्सा-उडियारकुड़ी-सन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.6366 हेक्ट॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की एन॰पी॰वी॰ ₹ 13,82,927/- निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 10,75,246/- तथा 3.2732 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु कुल

धनराशि ₹ 19,68,735/- ही जमा की गयी थी। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 3,07,681/- NPV की राशि कम जमा करायी गयी थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2017-18 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /प्रभावित वृक्षों की संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	253332 प्रति हेक्ट॰	3.2732 हेक्ट॰	829206.00	829206.00	0.00
रोड साइड वृक्षारोपण	379843.00 प्रति हेक्ट॰	3.00 किमी	1139529.00	1139529.00	0.00
रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण	प्रभावित वृक्षों का दस गुना/ 1000 प्रति वृक्ष	13*10=130 वृक्ष	130000.00	0	130000.00
योग			**20,98,735.00**	**19,68,735.00**	**1,30,000.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 3,07,681/- NPV की राशि तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में ₹ 1,30,000/- की राशि कम जमा की थी।

(D) शासन के पत्रांक 702/X-4-16/1(182)/2016 दिनाँक 17.06.2016 द्वारा जनपद बागेश्वर में खड्लेख भनार मोटर मार्ग के 10 किमी आगे धरमघर-माजखेत मोटर मार्ग के घुरडिया बैन्ड तक मिलान 8.00 किमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.760 हेक्ट॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की एन॰पी॰वी॰ ₹ 40,22,000/- निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 31,27,320/- तथा 9.520 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु कुल धनराशि ₹ 54,50,465/- ही जमा की गयी थी। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 8,94,680/- NPV की राशि कम जमा करायी गयी थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2017-18 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /प्रभावित वृक्षों की संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	253332 प्रति हेक्ट॰	9.520 हेक्ट॰	2411721.00	2411721.00	0.00

रोड साइड वृक्षारोपण	379843.00 प्रति हेक्ट॰	8.00 किमी	3038744.00	3038744.00	0.00
रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण	प्रभावित वृक्षों का दस गुना/ 1000 प्रति वृक्ष	215*10=2150 वृक्ष	2150000.00	0	2150000.00
योग			**76,00,465.00**	**54,50,465**	**21,50,000.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 8,94,680/- NPV की राशि तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में ₹ 21,50,000/- की राशि कम जमा की गयी थी।

(E) शासन के पत्रांक 1052(1)/X-4-15/1(532)/2015 दिनाँक 08.03.2016 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रावत से मान का भाडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.124 हेक्ट॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की एन॰पी॰वी॰ ₹ 34,84,700/- निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 27,09,468/- तथा 8.248 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु कुल धनराशि ₹ 18,99,530/- ही जमा की गयी थी। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 7,75,232/- NPV की राशि कम जमा करायी गयी थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2017-18 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	**दर (₹ में)**	**क्षेत्रफल /प्रभावित वृक्षों की संख्या**	**देय धनराशि (₹ में)**	**जमा की गयी राशि (₹ में)**	**अन्तर (₹ में)**
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	253332 प्रति हेक्ट॰	8.248 हेक्ट॰	2089482.00	1899530.00	189952.00
रोड साइड वृक्षारोपण	379843.00 प्रति हेक्ट॰	7.10 किमी	2696885.00	0.00	2696885.00
रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण	प्रभावित वृक्षों का दस गुना/ 1000 प्रति वृक्ष	330*10=3300 वृक्ष	3300000.00	0	3300000.00
योग			**80,86,367.00**	**18,99,530**	**61,86,837.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 7,75,232/ NPV की राशि तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में ₹ 61,86,837/- की राशि कम जमा की थी।

इस प्रकार उपरोक्त पाँच प्रकरणो मे पाया गया कि वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरण में प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा एन॰पी॰वी की धनराशि **₹ 37,20,237/-**

(911800+830844+307681+894680+775232) तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **₹ 1,27,94,187/-** (3842056+485294+130000+2150000+6186837) कुल **₹ 1,65,14,424/-** कम जमा कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर सूचित कर दिया जायेगा।

अतः धनराशि **₹ 1,65,14,424/-** की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-03 वन-निगम द्वारा विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ₹ 8.15 लाख व नियमित लाटों की रॉयल्टी जमा न कराया जाना ₹ 57.09 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावली की लेखापरीक्षा जाँच मे निम्न बिन्दु प्रकाश मे आये:

(A) प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में वन विकास निगम, बागेश्वर को आरक्षित वन क्षेत्र की नियमित लाटों, अनारक्षित वन क्षेत्र (वन पंचायत) की नियमित लाटों तथा आरक्षित व अनारक्षित वन क्षेत्र (वन पंचायत) में विकास कार्य की लाटों का आवंटन किया गया था। वन विकास निगम, बागेश्वर द्वारा आरक्षित वन व अनारक्षित वन क्षेत्र (वन पंचायत) की नियमित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी क्रमशः **₹ 1,64,98,719/-** तथा **₹ 1,65,837/-** के सापेक्ष क्रमशः ₹ 14065540/- एवं ₹ 1,96,129/- का भुगतान (रॉयल्टी की संशोधित दरों वर्ष 2016-17 के अनुसार) प्रभाग को किया गया था।

जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम, बागेश्वर द्वारा आरक्षित व अनारक्षित वन क्षेत्र (वन पंचायत) में आवंटित विकास कार्य की लाटों का भुगतान प्रभाग को नहीं किया था। इन लाटों से संबन्धित रॉयल्टी वन विकास निगम द्वारा नियमानुसार माह मार्च 2017, जून 2017 व सितम्बर 2017 में तीन किश्तों में जमा करनी थी। परन्तु, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा इन लाटों से संबन्धित कोई भी धनराशि प्रभाग में जमा नहीं की गयी थी। आवंटित लाटों से संबन्धित सूचना का वर्ष 2016-17 की रॉयल्टी-दरों के आधार पर गणना करने पर आरक्षित वन क्षेत्र की रॉयल्टी **₹ 7,17,785/-** व अनारक्षित वन क्षेत्र की रॉयल्टी **₹ 97,229/- (कुल ₹ 8,15,014/-)** की धनराशि रॉयल्टी के रूप में आंगणित हुई (**विवरण संलग्नक-I**)।

(B) प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में वन विकास निगम, बागेश्वर को आरक्षित वन की 85 लाटों का आवंटन किया गया था। इन लाटों से संबन्धित रॉयल्टी राशि **₹ 1,05,10,810/-** (वर्ष 2016-17 की रॉयल्टी दरों पर) का भुगतान प्रभाग को तीन किश्तों क्रमशः मार्च 2018, जून 2018 व सितंबर 2018 में करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा रॉयल्टी की

प्रथम किश्त ₹ **35,03,603/-** का ही भुगतान प्रभाग को किया था तथा अवशेष रॉयल्टी वर्तमान (12/2018) तक जमा नहीं करायी गयी थी। आवंटित लाटों (प्रकाष्ठ) का वर्ष 2017-18 की रॉयल्टी दरों पर आंगणन करने पर पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा कुल ₹ **9212375.264 (विवरण संलग्नक-II)** का भुगतान प्रभाग को किया जाना था। परन्तु, निगम द्वारा ₹ 35,03,603/- की रॉयल्टी का ही भुगतान किया था एवं ₹ **5708772.264** की रॉयल्टी राशि वर्तमान तक जमा नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर मे बिन्दु (A) के सम्बंध में कहा गया कि निगम द्वारा रॉयल्टी जमा नहीं करायी गयी है। निगम से पत्राचार कर कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा। बिन्दु (B) के सम्बंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अवशेष रॉयल्टी जमा कराये जाने हेतु निगम से पत्राचार किया जायेगा।

अतः वन विकास निगम से विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी ₹ **8,15,014/-** वसूल न किये जाने तथा नियमित लाटों की रॉयल्टी ₹ **5708772/-** जमा न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-I

वन विकास निगम को आवंटित विकास-कार्य लाटों की रॉयल्टी का विवरण

आरक्षित वन

प्रजाति	आयतन (घन मी॰)	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी की राशि (रु में)
चीड़ हरा	179.377	2813	504587.5
चीड़ पेंचदार	157.808	1311	206886.29
उतीस	1.248	2832	3534.336
सुरई	2.024	1221	2471.304
अन्य जलौनी	0.283	1080	305.64
योग			**717785.07**
अनारक्षित वन (वन पंचायत)			
चीड़ पेंचदार	74.142	1311	97200.162
अन्य जलौनी	0.027	1080	29.16
योग			**97229.322**
कुल योग			**815014.39**

संलग्नक-II

वन विकास निगम को आवंटित नियमित आरक्षित वन लाटों की रॉयल्टी का आंगणन

प्रजाति	आयतन (घन मी॰)	रॉयल्टी की दर	रॉयल्टी का प्रतिशत (हरा/सूखा)	रॉयल्टी की राशि (रु में)
चीड़ हरा	4.629	2466	100	11415.114
चीड़ सूखा	4883.644	2466	75	9032299.6
चीड़ पैंचदार सूखा	181.456	1149	75	156369.71
तुन हरा	1.168	10523	100	12290.864
योग				**9212375.264**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-01 **धनराशि ₹ 80.65 लाख के चालानो का सत्यापन न होना ।**

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय प्राप्तियों का कोषागार की सूची से मिलान किया जाना चाहिये। सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वित्त (लेखा) अनुभाग-1/संख्या-ए-1-1189/दस-96-10(1)-93 दिनाँक 25.06.1996 द्वारा भी विभाग की शासकीय प्राप्तियों के सदर्भ मे समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 27-ए की टिप्पणी(4) की ओर आकृष्ट किया गया था जिसमे यह प्रावधान है कि कोषागारों में भुगतानों (शासकीय प्राप्तियों) के प्रकरणों में आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी की चालान पर प्राप्ति को देखकर कैश बुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियाँ ₹ 1000 से अधिक हों, तो उसका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर कैश-बुक में पोस्टिंग से मिलान किया जाये। वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के गबन एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिक्षित किया जाये।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति से संबन्धित चालानो का संबन्धित कोषागार की सूची से मिलान करने पर पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि (04/2017 से 03/2018) के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के पक्ष में जमा धनराशि ₹ 80,64,711/- के चालान कोषागार की सूची में परिलक्षित नहीं हुये। विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	चालान संख्या/दिनाँक	धनराशि (₹ में)
1.	34/1.03.18	442000
2.	92/9.02.18	414375
3.	118/6.11.18	414375
4.	114/6.03.18	414375
5.	03/8.03.18	1530
6.	66/9.03.18	884000
7.	134/9.03.18	242161
8.	104/15.03.18	442000
9.	31/23.03.18	884000

10.	70/22.03.28	414375
11.	71/22.03.18	414375
12.	48/26.03.18	884000
13.	91/26.03.18	442000
14.	172/26.03.18	884000
15.	71/27.03.18	442000
16.	74/27.03.18	442000
17.	108/28.03.18	3145
योग		**8064711/-**

अतः उक्त चालानो का कोषागार की सूची से मिलान न हो पाने के कारण लेखापरीक्षा में इनकी वैधता सत्यापित नहीं हो पायी।

उपरोक्त को इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उक्त चालानों का सत्यापन करवाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिये जायेंगे एवं यह भी अवगत कराया गया कि चालान में धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर के पक्ष मे जमा है परन्तु बागेश्वर कोषागार से प्राप्त सी0टी0आर0 मे उक्त धनराशि परिलक्षित नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के Major Head wise CTR (treasury Bageshwar) में भी उपरोक्त चालान जमा नहीं पाये गये थे एवं बिना सी0टी0आर0 से धनराशि सत्यापन के अभाव मे चालानों के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-02 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विगत तीन वर्षों मे राजस्व की कम वसूली ₹ 2812.64 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत तीन वर्षों में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (₹ लाख में)	प्राप्ति (₹ लाख में)	कम प्राप्ति (₹ लाख में)
2015-16	2137.18	1475.99	661.19
2016-17	1862.29	1035.70	826.59
2017-18	2184.45	859.59	1324.86
योग			**2812.64**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 में ₹2812.64 लाख राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीसे का विक्रय मूल्य कम होने के कारण तथा औध्योगिक इकाइयों द्वारा लीसा खरीदने मे रूचि न लिए जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति कम हुई ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2015-16 मे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016-17 मे शासन द्वारा लक्ष्य कम कर दिये जाने के उपरान्त भी उत्तरोत्तर विगत तीनों वर्षों मे राजस्व कम प्राप्त किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-03 **वन जमा में धनराशि अवरुद्ध रहना ₹ 23.46 करोड़ ।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 194/XXVII/आ॰प्र॰(14)/2009 दिनाँक 26.02.2009 द्वारा वन विभाग की ऐसी योजनायें जिनकी धनराशि डी॰सी॰एल॰ लेखे में जमा है एवं जिनमे 25 प्रतिशत कार्य हो गया है, के लिये संबन्धित जिलाधिकारी तथा जिन योजनाओं में 25 प्रतिशत तक कार्य नहीं हुआ है उनके लिये डी॰सी॰एल॰ में रखी गयी धनराशि के उपभोग के लिये वित्त विभाग से पुनर्वैध (revalidate) करने की पूर्ववत आवश्यकता होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में डी॰सी॰एल॰ से संबन्धित लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रभाग के वन जमा (डी॰सी॰एल॰) में माह 03/2018 तक ₹ 23,46,17,613/- की धनराशि बिना उपयोग के अवरुद्ध थी तथा वर्तमान तक पुनर्वैध नहीं की गयी थी। विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	वन जमा मद	धनराशि (₹ में)
1	डिपॉजिट कार्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण	44,55,904
2	डिपॉजिट कार्य ट्रेकिंग शुल्क	10,09,215
3	डिपॉजिट कार्य लीसा	21,45,08,023
4	डिपॉजिट कार्य जड़ी बूटी	5,74,229
5	डिपॉजिट कार्य प्रकाष्ठ की रॉयल्टी	1,20,60,020
6	डिपॉजिट कार्य कीड़ा-जड़ी की नीलामी	4,31,792
7	डिपॉजिट कार्य खड़िया खनन	2,65,520
8	वन निगम से प्राप्त छपान	13,12,910
योग		**23,46,17,613**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस सम्बंध में पुनरीक्षण कर सूचित कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्तमान (12/2018) तक धनराशि पुनर्वैध नहीं की गयी थी। क्रम संख्या-1 पर अंकित राशि ₹ 44,55,904/- जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण 2009-10 से संबन्धित थी, वर्तमान में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर बढ़ जाने से निर्धारित क्षेत्र में सम्पूर्ण वृक्षारोपण सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या-3 व 5 पर अंकित धनराशियों से वन पंचायतों का लीसा व प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का भुगतान किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 04:- मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ₹ 72.94 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्त उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त तक प्रभाग मे पशु क्षति के 535 प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष **₹ 72.94** लाख भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (12/2018) तक नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया की बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नही किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ₹ **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण **₹ 72.94** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
09/2011-12	01	01	-
02/2015-16	-	01,02	01
01/2016-17	01	01	-
73/2017-18	-	01,02,03	01,02,03,04

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
26/2003-04	01,02,03,04	01,02,03,04	
28/2004-05	-	01,02,03	
13/2005-06	01	01,02	
09/2011-12	01	01,02	
02/2015-16	01	01,02,03	01
01/2016-17	-	01	
73/2017-18	-	04,05,06	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर.के.सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र